न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
16 / प्रा0प0 / 2024	02.04.2024	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

रामचन्द्र उर्फ हीरा आत्मज श्री रामधन जाति मीणा निवासी रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान

–प्रार्थी

–बनाम–

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, रायथल जिला बून्दी राज०।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र–इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–161, 136 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक–21.11.2024

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से एड्वोकेट श्यामलाल नागर।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम रायथल पटवार क्षैत्र रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी के जमाबन्दी नया खाता संख्या 271 पुराना खाता 255 खसरा संख्या 1008 रकबा 0.0538 खसरा संख्या 1013 रकबा 0.1384 है0, खसरा संख्या 1020 रकबा 0.0461 है०, खसरा संख्या 1021 रकबा 0.1538 है०, खसरा सख्या 12 रकबा 0.0461 है०, खसरा संख्या 28 रकबा 0.6460 है० खसरा संख्या 341 रकबा 1.4457 है० व खसरा संख्या 342 रकबा 1.0458 है० कुल किता 9 रकबा 4.7985 है० भूमि दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थी को अपने पिता श्री रामधन आत्मज धूल्ला से जर्ये विरासत प्राप्त हुई प्रार्थी अपने पिता रामधन की एक मात्र संतान हैं प्रार्थी की माता की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर वहैसियत खातेदार के रूप मे काविज काश्त हैं। राजस्व कागजात् में प्रार्थी का घर में वोल–चाल का नाम हीरा गाँववालो के द्वारा वताये जाने पर अंकित कर दिया जवकि प्रार्थी का सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड राशनकार्ड, बैंक पास बुक जनाधार आदि में वास्तविक नाम रामचन्द्र हैं प्रार्थी रामचन्द्र के नाम से ही जाना पहचाना जाता हैं। हीरा वल्द श्री रामधन नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम रायथल मे नही हैं प्रार्थी का वास्तविक नाम रामचन्द्र ही हैं जिसके वावत् ग्राम पंचायत की तस्दीक भी साथ संलग्न है। उक्त हीरा व रामचन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति हैं जो प्रार्थी के नाम हैं जमाबन्दी व अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड आदि में एक ही व्यक्ति के अलग–अलग नाम अंकित होने से खेती सवंधी के0सी0सी0 फसल बीमा व फसल बिक्री व सरकारी योजनाओं के संवध मे नाम मिलान नही होने के कारण सरकारी सहायता से वंचित रहना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी के वास्तविक नाम रामचन्द्र के रूप मे राजस्व जमाबन्दी मे हीरा वल्द रामधन के वजाय रामचन्द्र वल्द रामधन के रूप मे शुद्धि अंकित करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा [illegible] अंकित कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या 27[illegible] मे खातेदार के स्थान पर वर्तमान में अंकित हीरा वल्द रामधन के स्थान पर शुद्धि [illegible] रामधन के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे [illegible] न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:39:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, रायथल से प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार, रायथल द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/3663 दिनांक 15.10.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम रायथल की ऑनलाईन जमावन्दी सम्वत 2072–75 जमाबन्दी 2080

(वर्ष 2023) से स्थायी में खाता संख्या 271 में खसरा नंबर 1008 रकबा 0.0538 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1013 रकबा 0.1384 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1020 रकबा 0.0461 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1021 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1022 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 1.1151 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.6460 हैक्टेयर, खसरा नंबर 341 रकबा 1.4457 हैक्टेयर, खसरा नंबर 342 रकबा 1.0458 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 4.7985 हैक्टेयर में हीरा पुत्र रामधन जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत रायथल के द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र तथा मजमे–ए–आम में प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त खाते में अंकित हीरा वल्द रामधन का वास्तविक नाम रामचन्द्र वल्द रामधन हैं। हीरा वल्द रामधन एवं रामचन्द्र वल्द रामधन एक ही व्यक्ति हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र विषयक भूमि के राजस्व रेकार्ड में हीरा पुत्र रामधन दर्ज हो गया हैं। हीरा प्रार्थी के घर का नाम हैं। उक्त भूमि प्रार्थी को अपने पिता रामधन से विरासतन् प्राप्त हुई हैं और गांव वालो के कहे अनुसार राजस्व कर्मियों ने प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में हीरा दर्ज कर दिया हैं, जबकि प्रार्थी का सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में नाम रामचन्द्र ही अंकित हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का सही नाम अंकित न होने से प्रार्थी को काश्तकारी कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं और प्रार्थी को राजकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में हीरा के स्थान पर रामचन्द्र अंकित किये जाने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 20752–75 जमाबंदी 2080 (वर्ष 2023) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 271 पुराना 255 कुल किता 9 कुल रकबा 4.7985 है0 में प्रार्थी का नाम हीरा पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी हीरा वल्द रामधन एवं रामचन्द्र वल्द रामधन प्रार्थी के ही नाम हैं और दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रार्थी का नाम हीरा के स्थान पर हीरा उर्फ रामचन्द्र किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम रायथल के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 जमाबंदी 2080 (वर्ष 2023) से स्थायी के खाता संख्या 271 पुराना 255 की आराजी खसरा संख्या 1008, 1013, 1020, 1021, 1022, 12, 28, 341, 342 कुल किता 9 कुल रकबा 4.7685 है0 के राजस्व रेकार्ड में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी हीरा पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के स्थान पर हीरा उर्फ रामचन्द्र पुत्र रामधन हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, रायथल को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को खुले इजलास में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:39:47 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी